डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 19/2022-23 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा /20010/एमवाईटीपी/जीआईएएल/एमओपीए-गोवा/2022-23/

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण/

*****

आदेश संख्या 19/2022-23/

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110003

जारी करने की तारीख: 26 अगस्त, 2022

विषय : गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल), एमओपीए पर प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए प्रचालन की वाणिज्यिक तारीख ("सीओडी") से 31.03.2023 तक के लिए तदर्थ टैरिफ के मामले में

आदेश

प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीआईएएल,एमओपीए) को प्रचालन की वाणिज्यिक तारीख ("सीओडी") से **31.03.2023 तक,** या, प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए नियमित वैमानिक टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, **संलग्नक- ख** के अनुसार वैमानिक सेवाओं के लिए तदर्थ आधार पर टैरिफ लगाने और वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) वायुयान नियम,1937 के नियम, 89 के साथ पठित ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (1)(बी) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद्द्वारा **संलग्नक - ख** में दिए गए दर कार्ड में इंगित किए अनुसार तदर्थ आधार पर प्रयोक्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) की दर निर्धारित करता है।

(iii) यह आदेश जीआईएएल, एमओपीए पर प्रचालन प्रारंभ होने से पहले सभी अपेक्षित विनियामक और सांविधिक अनुमोदन प्राप्त होने की शर्त पर प्रभावी किया जाएगा।

(iv) ऊपर बताए अनुसार निर्धारित टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ है और अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाए।

(v) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ में सभी लागू सरकारी कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री के नारायण राव, निदेशक, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, न्यू उड़ान भवन, टर्मिनल 3 के सामने, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110037

<u>प्रतिलिपि</u>:

(i) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली -110003

(ii) नागर विमानन महानिदेशालय, एआईसी जारी करने के लिए